बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 14/12/2018

संख्या–2/नियुक्ति–04/2014–1426(2) /स्वा०, राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए राज्य के तीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में विभागीय अधिसूचना सेख्या–1392(2) दिनांक–27.11.2013 एवं अधिसूचना संख्या–478(2) दिनांक–25.04.2014 द्वारा संविदा पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ग्यारह माह के लिए चयनित करते हुए पदस्थापित किया गया था। चिकित्सकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमानुकूल ऐसे नियोजित चिकित्सकों की संविदा अवधि विस्तारित की गई। इस अवधि में नियमित चिकित्सा पदाधिकारीयों की सेवा सक्षम प्रधिकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में ली जाती रहीं ।

2. ऐसे ही चिकित्सा पदाधिकारी के लिए संबंधित चिकित्सा संस्थानों के निदेशक/अधीक्षक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 के प्रावधान के आलोक में सक्षम प्रधिकार से संविदा अवधि विस्तार के अनुमोदन हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने मंतव्य में अंकित किया है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संदर्भ में उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या– 12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट 'क' की कंडिका (1) के अनुसार सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर नियमित नियुक्ति होने तक के लिये संविदा नियोजन का अवधि विस्तार किये जाने संबंधित कार्यालय आदेश निर्गत करने के लिए प्रशासी विभगा स्वयं सक्षम है।

3. तदनुसार निम्नांकित चिकित्सकों के संविदा अवधि विस्तार की अनुशंसा संबंधित संस्थान के निदेशक/अधीक्षक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चिकित्सकों का संविदा अवधि विस्तार निम्नरूप से किया जाता है:–

क्रमांक	चिकित्सक का नाम पदनाम	पदस्थापित संस्थान का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	पूर्व में किये गये संविदा अवधि विस्तार की तिथि	संविदा अवधि का विस्तार	अभ्युक्ति
1.	डा० संजय कुमार सिंह, नेत्र विशेषज्ञ	राजेन्द्र नगर नेत्र रोग, अस्पताल, पटना	28.11.13	28.10.14 से 27.9.15	28.9.15 से 29.6.16 (घटनोत्तर)	दिनांक– 30.6.16 को त्यागपत्र
2.	डा० कुशाग्र, जी०डी०एम०ओ०	लोकनायक जयप्रकश नारायण अस्पताल राजवंशीनगर,	1.07.2014	01.06.15 से 30.4.2016	1.5.16 से 31.3.17 तक (घटनोत्तर)	दिनांक– 31.3.17 को त्यागपत्र

D>Sec-2>2018>Adhisuchna 18

		पटना				
3.	डा० संजीत कुमार, रेजिडेन्ट चिकित्सक	न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना	28.4.14	28.2.16 से 27.1.17	28.1.17 से 27.12.17 तक तथा 28.12.17 से 13.5.18 (घटनोत्तर)	दिनांक–14.5.18 से एन०एम०सी० एच०, पटना में पी०जी०कोर्स में अध्ययनरत
4.	डा० विजेता सिन्हा रेजीडेन्ट चिकित्सक	न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना	28.4.14	28.2.16 से 27.1.17	28.01.17 से 27.12.17 तक 28.12.17 से 31.3.2019 तक	मानदेय उपस्थिति के आधार पर

4. प्रस्ताव में माननीय मंत्री स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/नियुक्ति–04/2014– 1426 (2) पटना, दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/ सचिवालय मुद्रणालय, प्रशाखा वित्त विभाग, बिहार पटना/प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, राजेन्द्र नगर, अस्पताल, पटना/अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा० संजय कुमार सिंह, नेत्र विशेषज्ञ, राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना/ डा० कुशाग्र, जी०डी०एम०आई० लोकनायक जयप्रकश नारायण अस्पताल राजवंशीनगर, पटना/ डा० संजीत कुमार, रेजिडेन्ट चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना/ डा० विजेता सिन्हा रेजीडेन्ट चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव

D>Sec-2>2018>Adhisuchna 18